मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च, 1994 (फाल्गुन 13, 1915)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड का अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, राज्यमंत्री ऊर्जा, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. रामलखन सिंह (भिण्ड), सदस्य, मुरैना की चंबल नहर की निचली मुख्य नहर में रिसाव से फसलों की हुई क्षति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री कंकर मुंजारे, बाबूलाल गौर, बच्चन नायक, सदस्य, रीवा में पुलिस कर्मियों द्वारा विधायक एवं उनके कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री रघुराज सिंह तोमर, सदस्य, खण्डवा जिले के ग्राम सिवना में हुई हत्या की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम खेड़ा में दस्युदल द्वारा दो अपहृतों की हत्या करने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, रायगढ़ जिले के ग्राम बारोमरिया में एक आदिवासी की पुलिस पिटाई से हुई मृत्यु की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री गोपाल भार्गव, सदस्य, सतना जिला जेल में कैदियों की हुई मृत्यु की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री गोपाल भार्गव, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के बरेली नगर में लूट की घटित घटनाओं की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य, रायगढ़ जिले में जलाशयों हेतु अर्जित भूमि का मुआवजा न दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट वन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा मजदूरी की राशि का भुगतान न करने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री रघुनन्दन शर्मा, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम कानरखेड़ी में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.